न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 103/2004 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर—2004/00002

उनवान

1. श्री विरजी पिता गोता डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर (फोत)
2. श्री खेमा पिता गोता डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
3. श्री केवा पिता गोता डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
4. श्री पेमा पिता गोता डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
5. मृतक — श्री स्व. गोता पिता गांगा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है— 5/1 श्री रूपा गोता पिता गागा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
6. मृतक श्री स्व धुला पिता गागा उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है—6/1 केवा पिता स्व. धुला पिता गांगा उम्र बालिंग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
7. श्री काना मुतबना पेमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
8. श्री रूपा पिता गोवना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
9. मृतक श्री स्व. लाला पिता काना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है —
   9/1 श्रीमती मोती बाई पत्नि स्व. लाला पिता काना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
   9/2 श्री कन्हैयालाल पिता लाला डांगी उम्र बालिंग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
   9/3 श्री दिनेश पिता लाला डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
10. मृतक श्री स्व. नाथु पिता काना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है—
    10/1 श्रीमती ककु पत्नि स्व. नाथु पिता काना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
    10/2 श्री पेमा पिता स्व. नाथु डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
11. मृतक श्री स्व. खेमा पिता पदमा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है—
    11/1 श्रीमती भुरी पुत्री स्व.खेमा डागी पिता पदमा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
    11/2 श्रीमती पुजी पुत्री स्व खेमा डांगी पित्ता पदमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरदास टापरान तहसील सलुम्बर
12. मृतक श्री स्व. रूपा पिता लाला डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है—
    12/1 श्रीमती लाली पत्नि स्व. रूपा पिता लाला डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
    12/2 श्री भेरूलाल पुत्र स्व. रूपा पिता लाला डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
    12/3 श्री रमेश पुत्र स्व. रूपा पिता लाला डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

13. श्री काना मुतबना गोता डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
14. श्री मोगा पिता गांगा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
15. मृतक श्री स्व. नाथु पिता गागा डागी उम्र बालिग निवासी इंसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है–
15/1 श्रीमती रतनी पत्नि स्व. नाथु पिता गागा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
15/2 श्री कालु पिता स्व. नाथु पिता गांगा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
15/3 श्री शुभम पुत्र स्व. नाथु पिता गांगा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
16. श्री रूपा पिता धुंला डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
17. श्री केव्रा पिता मेघा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
18. श्री पेमा पिता काना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
19. श्री रूपा पिता काना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
20. मृतक श्री स्व. कचरा पिता खेमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है –
20/1 श्रीमती वरंजु पत्नि स्व. कचरा पिता खेमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
20/2 श्री नानजी पिता स्व कचरा पिता खेमा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
20/3 श्री गोवना पिता स्व. कचरा पिता खेमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
20/4 श्री देवीलाल पिता पिता स्व. कचरा पिता खेमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरदास टापरान तहसील सलुम्बर
20/5 श्रीमती खेमी पत्नि रोडजी डांगी उम्र बालिग निवासी करावली तहसील सलुम्बर
20/6 श्रीमती वगत् पुत्री कचरा पत्नि रूपजी डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरयास टापरान तहसील सलुम्बर
मृतक श्री वाला पिता खेमा डांगी उम्र बालिंग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर लाऔलाद होने से न्यायालय के आदेश द्वारा नाम हटाया गया ।

–वादीगण

विरुद्ध

1. मृतक श्री स्व. नाथु पिता भीमा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है–
1/1 श्री डुंगर लाल स्व. नाथु पिता भीमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
1/2 श्रीमती पेमी पत्नि स्व. नाथु पिता भीमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
1/3 श्रीमती ककु पुत्री स्व. नाथु पत्नि धना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास डागीयान
1/4 श्रीमती कुरी पुत्री स्व. नाथु पत्नि लालजी डांगी (डंगीरा) उम्र बालिग निवासी झाडोल तहसील सराडा जिला. सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

2. श्री काना पिता भीमा डांगी उम्र श्बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
3. श्री पेमा पिता नानजी दादा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
4. श्री रूपा पिता खेता डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
5. श्री कचरा पिता खेता डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
6. श्री धुला पिता गोवना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान, तहसील सलुम्बर
7. श्री शंकर पिता गोवना डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापराम तहसील सलुम्बर
8. श्री सवा पिता गोवना डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
9. श्रीमान भूमीधारी तहसीलदार साहब–सलुम्बर

–प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

::निर्णय::

दिनांक: 25/05/2026

उपस्थिति: श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता–वादीगण
श्री परमानन्द मेहता अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3
श्री वीरेन्द्र पटेल अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 2 से 5
प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8– अनुपस्थित।

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। वादीगण का वाद सक्षिप्त मे निम्न प्रकार है कि–मौजा ईसरवास डांगीयान (जागीर) तहसील सलूम्बर की आराजी नम्बर 998 रकबा 12 बिस्वा, 1004 रकबा 12 बिस्वा, 1017 रकबा 1 बीघा, 1028 रकबा 3 बिस्वा कुल खेत 4 चार रकबा 2 बीघा 8 बिसवा लगानी 10 रू. 9 आना भूमि स्थित है। जिसके पूर्व पैमाईशी सं. 2001 के निम्न व्यक्ति खातेदार थे जिनके वारिश वादीगण एवं प्रतिवादीगण है–

(क) पहला खातेदार मानिग पिता हरजी डांगी (फोत) हिस्सा 1/8, जिनके वारिस वादपत्र की कलम संख्या 2 (क) अनुसार वादी नं. 1, 2, 3, 4 का संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्सा है।

(ख) कि पूर्व पैमाईश के दुसरे खातेदार भीमा, ज्योता पिता नंगा डांगी का भी 1/8 हिस्सा था। भीमा व ज्योता की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिश प्रतिवादी नं. 1 से 5 तक है। भीमा पिता नंगा डागी के वारिश उसके 1/16 हिस्से के प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 है एवं खातेदार ज्योता पिता नंगा के वारिश उसके पोते प्रतिवादी नं. 4 व 5 है जिनका 1/16 हिस्सा है।

(ग) कि इसी प्रकार पूर्व पैमाईश के तीसरे खातेदार गागा, दला पिता नाथु डांगी का 1/8 हिस्सा था। दोनो खातेदार मर चुके है जिनका हिस्सा उनके वारिसों का सरजे के अनुसार है। गांगा के 1/16 हिस्सा के वारिश उसके पुत्र वादी नं. 5 एवं 6 है एवं खातेदार दला के वारिश उसका पोता काना वादी नं. 7 का 1/16 हिस्से का खातेदार है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

(घ) इसी प्रकार चौथा खातेदार खेमा पिता लिम्बा डांगी 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार था जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिश खेमा के वारिश उत्सके पोते वादी नं. 8 एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 है जिनका 1/8 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में है।

(ङ) कि इसी प्रकार पाँचवा खातेदार काना वल्द मोडा डांगी 1/16 हिस्से का खातेदार व काश्तकार था जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिश बेटे वादग्रस्त भूमि में वादी नं. 9 एवं 10 का 1/16 हिस्सा है।

(च) कि इसी प्रकार छट्ठा खातेदार पदमा पिता धना डांगी था जिसका भी 1/16 हिस्सा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है इसलिये उसका एक मात्र वारिश बेटा वादी नं. 11 है जिसका 1/16 हिस्सा है।

(छ) कि इसी प्रकार सातवां खातेदार लाला, गोता, गांगा पिता वेला डांगी थे इनका भी 1/8 हिस्सा था। इन तीनों खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिश बेटे वादग्रस्त भूमि में वादी न. 12 रूपा का 1/24 हिस्सा है। वादी नं 13 का 1/24 हिस्सा है। वादी नं. 14, 15 का भी 1/24 हिस्सा है।

(ज) कि इसी प्रकार आठवा खातेदार जीवा पिता गांगा का भी 1/8 हिस्सा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके वारिश वादी नं. 16 रूपा 1/8 हिस्से का खातेदार व काश्तकार है।

(झ) कि इसी प्रकार नवा एवं अन्तिम खातेदार खेमा वल्द पुरा डांगी 1/8 हिस्से का खातेदार व काश्तकार था जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके वारिश वादी नं. 17 केवा का हिस्सा 1/32 हिस्सा, वादी नं. 18, 19 पेमा, रूपा का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/32 हिस्सा, वादी नं 20 कचरा का हिस्सा 1/32 हिस्सा, वादी नं. 21 वाला का हिस्सा 1/32 हिस्सा है।

उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित भूमि के नई पैमाईश के बाद मिलान खतौनी के अनुसार खाता संख्या 232 आराजी नम्बर 2099/0.04, 2104/0.02, 2106/0.08, 2108/0.11, 2112/0.13, 2115/0.13 कुल किता 6 रकबा 0.51 हैक्टेयर बने। वाद वर्णित भूमि में पक्षकारों के वर्तमान खाते में निम्न प्रकार से हिस्से दर्ज होने चाहिये थे–

वादी नं. 1, 2, 3, 4 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/8 हिस्सा
वादी नं 5 व 6 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/16 हिस्सा
वादी नं. 7 का हिस्सा=1/16 हिस्सा
वादी न. 8 एवं प्रतिवादी नं. 6, 7, 8 का संयुक्त रूप से=1/8 हिस्सा
वादी नं. 9 एवं 10 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/16 हिस्सा
वादी नं. 11 का हिस्सा=1/16 हिस्सा
वादी न. 12 का हिस्सा=1/24 हिस्सा
वादी नं 13 का हिस्सा=1/24 हिस्सा
वादी नं. 14 एवं 15 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/24 हिस्सा
वादी नं. 16 का हिस्सा=1/8 हिस्सा
वादी नं. 17 का हिस्सा=1/32 हिस्सा
वादी नं. 18 एवं 19 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/32 हिस्सा
वादी न. 20 का हिस्सा 1/32 हिस्सा
वादी नं. 21 का हिस्सा=1/32 हिस्सा
प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/18 हिस्सा
प्रतिवादी नं. 4 एवं 5 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/16 हिस्सा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण ने आज तक प्रतिवादीगण को अथवा उनके पिताओं को कभी विक्रय नही की एवं नहीं कभी किसी प्रकार से हस्तान्तरण की है परन्तु प्रतिवादीगण नं. 1 से 5 तक ने नाजायज तरीके काम में लेकर वादीगण का एवं प्रतिवादी नं. 6, 7, 8 का 7/8 हिस्सा सं. 2017 से 2020 की जमाबंदी में लुप्त करा दिया एवं पूरी भूमि अपने खाते करा दी एवं खाता राजस्व रेकार्ड में मेघा, हिरा, काना, नानजी, नाथु पिता भीमा 1/2 हिस्सा एवं खेता वल्द ज्योता 1/2 हिस्से से दर्ज करा दी जो पूर्ण रूप से अवैध है इसलिये जो भूमि वर्तमान में प्रतिवादी नं. 1 से 5 तक के नाम पूरी भूमि दर्ज है जिसके वे खातेदार काश्तकार नहीं है वे सिर्फ 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं 1/8 हिस्से पर ही काबिज है। शेष 7/8 हिस्से पर वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 6, 7, 8 काबिज है। उक्त भूमि वर्तमान खाते में प्रतिवादी नं. 4, 5 रूपा, कचरा पिता खेता के 1/2 हिस्से से दर्ज है एवं 1/2 हिस्सा नानजी, नाथु पिता भीमा एवं मेघा पिता काना के नाम दर्ज है परन्तु मेघा पिता काना नाम का कोई व्यक्ति नही है। वास्तव में खातेदार मेघा, काना पिता भीमा डांगी है परन्तु राजस्व रेकार्ड में मेघा पिता काना गलत दर्ज कर दिया है इसलिये इस खाता के वास्तविक खातेदार प्रतिवादी नं. 1, 2 नाथु, काना एवं प्रतिवादी नं. 3 पेमा है क्योकि नानजी फोत हो चुका है एव मेघा लाऔलाद फोत है जिनके वारिश प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 यानि वर्तमान खाते में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 से 3 तक के नाम दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि जो खाता नं. 232 दर्ज है उसमें वादीगण का एवं प्रतिवादी नं. 6 से 8 तक का संयुक्त रूप से 7/8 हिस्सा है एवं प्रतिवादी नं. 1 से 5 तक का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा है परन्तु पूरी भूमि प्रतिवादी नं. 1 से 5 तक के खाते दर्ज की है। इसिलिये वादीगण ने यह दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है।

अतः प्रार्थना है कि वादग्रस्त भूमि जिसके नई पैमाईशी आ.न. वाद पत्र की क्रम संख्या 5 पाँच में वर्णित है उसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से वाद पत्र की क्रम संख्या 3 तीन में बतलाए हिस्से के अनुसार घोषित फरमाया जावे एवं माफिक घोषणा इन्ही हिस्सों के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे एवं प्रतिवादी नं. 1 से 5 तक के खाता नं. 232 सं. 2058 की जमाबंदी से वादग्रस्त भूमि कम की जावे। तथा प्रतिवादी नं. 1 से 5 तक के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादीगण के 7/8 हिस्से में शान्तिपूर्वक काश्त कब्जे में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दस्तनदाजी नहीं करे एवं नहीं उक्त कृत्य अपने नौकरों, परिजनो एवं मजदूरों से करावे।

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वादपत्र. की प्रति के साथ सम्मन सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक ने जवाब मे वाद को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए कहा कि वे ही एकमात्र खातेदार, काश्तकार और कब्जाधारी हैं तथा वादीगण का भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि वे लंबे समय से भूमि पर कब्जे में हैं और नियमित रूप से लगान जमा करते आ रहे हैं, जिससे उनका स्वामित्व सिद्ध होता है। प्रतिवादियों के अनुसार वादीगण का दावा झूठा और केवल भूमि हड़पने के उद्देश्य से किया गया है। अतएव आप श्रीमान से सानुरोध निवेदन है कि वाद वादी अस्वीकार फरमा प्रतिवादीगण को हस्ब दफा 35 ए जादि के अन्तर्गत 10000/- रूपये जुर्माना प्रदान कराये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रतिवादी संख्या 6 से 8 ने वादपत्र स्वीकार करते हुए विषेश कथन में अंकित किया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण का विरासत से मेवाड सेटलमेन्ट के समय से 1/8 हिस्सा दर्ज है उसी माफीक 1/8 हिस्सा हम गोवना के चारो पुत्रो को दिलाया जावे एवं वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

प्रकरण मे वाद निस्तारण हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई-

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

1. आया मौझा ईसरवास ड़ांगीयान जागीर थी आ.न. 998 रकबा 12 बिस्वा 1004 रकबा 12 बिस्वा 1017 रकबा 1 बिघा 1028 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 4रकबा 2 बीधा 8 बिस्वा में वादीगण का 7/8 हिस्सा जो वादपत्र में क.स. 3 में बताये हिस्से के अनुसार काबिज चले आ रहे है । उसी अनुसार प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 तक का मात्र 1/8 हिस्सा है उसी अनुसार वादीगण खातेदार घोशित कराने के अधिकारी है।

(–बजिम्मे वादीगण)

2. आया प्रतिवादीगण ने अवैध तरीके से बिना किसी हस्तानान्तरण के पुरा 7/8 हिस्सा चुपचाप अपने खाते संवंत 2013 से 2020 की जमाबंदी में अंकित कर दिया है जो अवैध है जिससे वादीगण अपना हिस्सा पुनः अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है?

(–बजिम्मे वादीगण)

3. आया वादयुक्त भूमि में वादीगण का 7/8 हिस्सा है इस लिए अपने हिस्से की भूमि पर विपक्षीगण के विरूध स्थाई निषेधाझा जारी कराने के अधिकारी है?

(–बजिम्मे वादीगण)

4. आया वादयुक्त भूमि के एक मात्र खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण है। जिस मे वादीगण का कोई हिस्सा नही है जिससे दावा करने योग्य नहीं है ?

(–बजिम्मे प्रतिवादीगण)

5. आया वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण का 4 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कब्जे के अभाव में दावा काबिल निरस्त है।

(–बजिम्मे प्रतिवादीगण)

6. दादरसी / अनुतोष।

वादीगण ने वादपत्र के समर्थन मे गवाह लाल पिता काना डांगी को शपथ पत्र पेश किया एवं बयान कराये। वादी ने अपने वादपत्र की ताईद मे दस्तावेजी साक्ष्य संवत 2001 की जमाबंदी प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, इन्तकाल नम्बर 131 की नकल प्रदर्श 2, संवत् 2017 से 2020 तक की जमाबंदी की प्रमाणित नकल प्रदर्श 3, मिलान खतोनी प्रदर्श 4, नई पेमाईशी की जमाबंदी नकल प्रदर्श 5 एवं नक्शा ट्रेश प्रदर्श 6 पेश की। वादीगण ने अपने समर्थन मे निम्न नजीरे पेश कि–

1. 2021(2) डी.एन.जे. (Rev)1329
   (A) No khatedari rights can be given on the basis of endorsement in the khatoni. (B) Settlement Department cannot change the existing entries. (C)Change in khatedari rights is not permissible even on the basis of consent.
2. 2024(1) आर.आर.टी. 275 राजस्थान हाई

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

No party could be left remediless and whatever the grievance, the party has raised before the court of law, has to be examined on its own merits.

3. 2012(2) आर.आर.टी. 814 राजस्थान हाई कोर्ट
Error can be rectified by land record officer under section 136 by giving opportunity of hearing to opposite party.

प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन मे गवाह डी.डब्ल्यु. 1 डुगरलाल पिता नाथजी डांगी का शपथ पत्र पेश किया एवं बयान कराये। प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नही कराये न ही कोई नजीरे पेश की।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादीगण ने बहस मे अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी ने मुताबिक रिकॉर्ड प्रकरण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण मे तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1 व 2–

तनकी नम्बर 1 व 2 साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत संवत् 2001 की जमाबंदी, मिलान खतौनी, नई पैमाइश के अभिलेख, इंतकाल रिकॉर्ड तथा वंशावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि प्रारंभ से ही संयुक्त खातेदारी भूमि रही है, जिसमें सहखातेदारो के हिस्से निश्चित थे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को केवल मौखिक अस्वीकार से खंडित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण यह सिद्ध नहीं कर सके कि कोई वैध बंटवारा, विक्रय, त्यागपत्र या आदेश हुआ हो, जिसके आधार पर वादीगण के अधिकार समाप्त हो गए हों। अतः यह सिद्ध होता है कि राजस्व अभिलेखों में की गई पूर्ण प्रविष्टि विधिसम्मत नहीं है।

तनकी नम्बर 3–

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। तकन नम्बर 1 व 2 वादीगण के पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है। वादीगण सह–खातेदार हैं, इसलिए उन्हें अपने हिस्से की भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग एवं कब्जे से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः वे स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं।

तनकी नम्बर 4 व 5–

यह तनकी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी संख्या 6 से 8 ने अपने जवाब मे वादपत्र को स्वीकार किया है। तनकी नम्बर 1 व 2 वादीगण के पक्ष मे साबित है। विवादित भूमि प्रारंभ से ही संयुक्त खातेदारी भूमि रही है, जिसमें सहखातेदारो के हिस्से निश्चित थे। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक द्वारा प्रस्तुत लगान रसीदें एवं लंबे कब्जे का तर्क संयुक्त खातेदारी की स्थिति में निर्णायक नहीं माना जा सकता। केवल राजस्व

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रविष्टि या एकपक्षीय कब्जा अन्य सह-खातेदारों के अधिकारों को समाप्त नहीं करता। अतः यह सिद्ध नहीं हुआ कि प्रतिवादीगण ही एकमात्र खातेदार हैं।

लंबे समय तक कब्जा होने का तर्क भी वादीगण के स्वामित्व अधिकारों को समाप्त नहीं करता, क्योंकि यह मामला सह-खातेदारी का है, न कि पूर्ण प्रतिकूल कब्जे का। अतः तनकी नम्बर 4 व 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नम्बर 6-दादरसी?

प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख, वादपत्र, लिखित कथन, साक्ष्य एवं तर्कों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि मौजा ईसरवास डांगीयान, तहसील सलूम्बर में स्थित एक संयुक्त पैतृक कृषि भूमि है, जो विभिन्न पूर्व खातेदारों के उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित हिस्सों में चली आ रही थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत संवत् 2001 की जमाबंदी, मिलान खतौनी, नई पैमाइश के अभिलेख तथा वंशावली से यह तथ्य सिद्ध होता है कि भूमि प्रारंभ से ही संयुक्त खातेदारी की प्रकृति की रही है, जिसमें प्रत्येक शाखा का निश्चित हिस्सा निर्धारित था।

साक्ष्यों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 6 से 8 को मिलाकर कुल 7/8 हिस्से पर उनका वैधानिक अधिकार बनता है, जबकि प्रतिवादी नं. 1 से 5 का अधिकार मात्र 1/8 हिस्से तक सीमित है। इसके बावजूद राजस्व अभिलेखों में बिना किसी वैध बंटवारे, विक्रय, त्यागपत्र या न्यायालयी आदेश के संपूर्ण भूमि प्रतिवादी नं. 1 से 5 के नाम दर्ज कर दी गई, जो राजस्व कानून की स्थापित प्रक्रिया के विपरीत एवं अवैध प्रतीत होती है। अतः प्रतिवादीगण का यह दावा कि वे ही एकमात्र खातेदार हैं, साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है।

जहाँ तक कब्जे का प्रश्न है, उपलब्ध साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भूमि पर सभी सह-खातेदारों का संयुक्त अधिकार एवं हित विद्यमान रहा है तथा प्रतिवादीगण का कब्जा सह-खातेदारी की सीमा में रहा है, न कि पूर्ण स्वामित्व के रूप में। अतः मात्र लंबे समय तक कब्जा होने से प्रतिवादीगण को वादीगण के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

-::आदेश::-

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ईसरवास डांगीयान तहसील सलूम्बर की आराजी नम्बर 2099/0.04, 2104/0.02, 2106/0.08, 2108/0.11, 2112/0.13, 2115/0.13 कुल किता 6 रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि मे निम्नानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है-

वादी नं. 1, 2, 3, 4 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/8 हिस्सा, वादी नं. 5 व 6 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/16 हिस्सा, वादी नं. 7 का हिस्सा=1/16 हिस्सा,वादी नं. 8 एवं प्रतिवादी नं. 6, 7, 8 का संयुक्त रूप से=1/8 हिस्सा, वादी नं. 9 एवं 10 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/16 हिस्सा, वादी नं. 11 का हिस्सा=1/16 हिस्सा, वादी न. 12 का हिस्सा=1/24 हिस्सा, वादी नं 13 का हिस्सा=1/24 हिस्सा, वादी नं. 14 एवं 15 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/24 हिस्सा, वादी नं. 16 का हिस्सा=1/8 हिस्सा, वादी नं. 17 का हिस्सा=1/32 हिस्सा, वादी नं. 18 एवं 19 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/32 हिस्सा, वादी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न. 20 का हिस्सा 1/32 हिस्सा, वादी नं. 21 का हिस्सा=1/32 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/18 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 4 एवं 5 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/16 हिस्सा (नोट–मृतक पक्षकारो का हिस्सा उसके विधिक वारिसान का रहेगा)।

प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे एवं अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। साथ ही, राजस्व अभिलेखों में आवश्यक सुधार करते हुए वादीगण का नाम उनके वैध हिस्से के अनुसार दर्ज किया जाए तथा स्थायी निषेधाज्ञा भी प्रदान की जाती है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय दिनांक 25/05/26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 103/2004 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2004/00002

उनवान

1. श्री विरजी पिता गोता डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर (फोत)
2. श्री खेमा पिता गोता डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
3. श्री केवा पिता गोता डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
4. श्री पेमा पिता गोता डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
5. मृतक – श्री स्व. गोता पिता गांगा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है– 5/1 श्री रूपा गोता पिता गागा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
6. मृतक श्री स्व धुला पिता गागा उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है–6/1 केवा पिता स्व. धुला पिता गांगा उम्र बालिंग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
7. श्री काना मुतबना पेमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
8. श्री रूपा पिता गोवना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
9. मृतक श्री स्व. लाला पिता काना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है –
   9/1 श्रीमती मोती बाई पत्नि स्व. लाला पिता काना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
   9/2 श्री कन्हैयालाल पिता लाला डांगी उम्र बालिंग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
   9/3 श्री दिनेश पिता लाला डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
10. मृतक श्री स्व. नाथु पिता काना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है–
    10/1 श्रीमती ककु पत्नि स्व. नाथु पिता काना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
    10/2 श्री पेमा पिता स्व. नाथु डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
11. मृतक श्री स्व. खेमा पिता पदमा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है–
    11/1 श्रीमती भुरी पुत्री स्व.खेमा डागी पिता पदमा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
    11/2 श्रीमती पुजी पुत्री स्व खेमा डांगी पित्ता पदमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरदास टापरान तहसील सलुम्बर
12. मृतक श्री स्व. रूपा पिता लाला डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है–
    12/1 श्रीमती लाली पत्नि स्व. रूपा पिता लाला डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
    12/2 श्री भेरूलाल पुत्र स्व. रूपा पिता लाला डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
    12/3 श्री रमेश पुत्र स्व. रूपा पिता लाला डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
13. श्री काना मुतबना गोता डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
14. श्री मोगा पिता गांगा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

15. मृतक श्री स्व. नाथु पिता गागा डागी उम्र बालिग निवासी इंसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है–

15/1 श्रीमती रतनी पत्नि स्व. नाथु पिता गागा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर

15/2 श्री कालु पिता स्व. नाथु पिता गांगा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर

15/3 श्री शुभम पुत्र स्व. नाथु पिता गांगा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर

16. श्री रूपा पिता धुंला डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
17. श्री केव्रा पिता मेघा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
18. श्री पेमा पिता काना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
19. श्री रूपा पिता काना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
20. मृतक श्री स्व. कचरा पिता खेमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है –

20/1 श्रीमती वरंजु पत्नि स्व. कचरा पिता खेमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर

20/2 श्री नानजी पिता स्व कचरा पिता खेमा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर

20/3 श्री गोवना पिता स्व. कचरा पिता खेमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर

20/4 श्री देवीलाल पिता पिता स्व. कचरा पिता खेमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरदास टापरान तहसील सलुम्बर

20/5 श्रीमती खेमी पत्नि रोडजी डांगी उम्र बालिग निवासी करावली तहसील सलुम्बर

20/6 श्रीमती वगत् पुत्री कचरा पत्नि रूपजी डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरयास टापरान तहसील सलुम्बर

मृतक श्री वाला पिता खेमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर लाऔलाद होने से न्यायालय के आदेश द्वारा नाम हटाया गया ।

–वादीगण

विरुद्ध

1. मृतक श्री स्व. नाथु पिता भीमा डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर के कानुनी विधिक कायम मुकाम वारीशान निम्न है–

1/1 श्री डुंगर लाल स्व. नाथु पिता भीमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर

1/2 श्रीमती पेमी पत्नि स्व. नाथु पिता भीमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर

1/3 श्रीमती ककु पुत्री स्व. नाथु पत्नि धना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास डागीयान

1/4 श्रीमती कुरी पुत्री स्व. नाथु पत्नि लालजी डांगी (डंगीरा) उम्र बालिग निवासी झाडोल तहसील सराडा जिला. सलुम्बर

2. श्री काना पिता भीमा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
3. श्री पेमा पिता नानजी दादा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
4. श्री रूपा पिता खेता डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
5. श्री कचरा पिता खेता डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
6. श्री धुला पिता गोवना डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान तहसील सलुम्बर
7. श्री शंकर पिता गोवना डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापरान, तहसील सलुम्बर
8. श्री सवा पिता गोवना डागी उम्र बालिग निवासी ईसरवास टापराम तहसील सलुम्बर
9. श्रीमान भूमीधारी तहसीलदार साहब–सलुम्बर

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

डिक्री दिनांक: 25/05/26

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से एडवोकेट श्री गोविन्दलाल डांगी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री परमानन्द मेहता व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 25/05/26 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा ईसरवास डांगीयान तहसील सलूम्बर की आराजी नम्बर 2099/0.04, 2104/0.02, 2106/0.08, 2108/0.11, 2112/0.13, 2115/0.13 कुल किता 6 रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि मे निम्नानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

वादी नं. 1, 2, 3, 4 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/8 हिस्सा, वादी नं. 5 व 6 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/16 हिस्सा, वादी नं. 7 का हिस्सा=1/16 हिस्सा,वादी नं. 8 एवं प्रतिवादी नं. 6, 7, 8 का संयुक्त रूप से=1/8 हिस्सा, वादी नं. 9 एवं 10 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/16 हिस्सा, वादी नं. 11 का हिस्सा=1/16 हिस्सा, वादी न. 12 का हिस्सा=1/24 हिस्सा, वादी नं 13 का हिस्सा=1/24 हिस्सा, वादी नं. 14 एवं 15 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/24 हिस्सा, वादी नं. 16 का हिस्सा=1/8 हिस्सा, वादी नं. 17 का हिस्सा=1/32 हिस्सा, वादी नं. 18 एवं 19 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/32 हिस्सा, वादी न. 20 का हिस्सा 1/32 हिस्सा, वादी नं. 21 का हिस्सा=1/32 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/18 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 4 एवं 5 का संयुक्त रूप से हिस्सा=1/16 हिस्सा (नोट–मृतक पक्षकारो का हिस्सा उसके विधिक वारिसान का रहेगा)।

प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे एवं अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। साथ ही, राजस्व अभिलेखों में आवश्यक सुधार करते हुए वादीगण का नाम उनके वैध हिस्से के अनुसार दर्ज किया जाए तथा स्थायी निषेधाज्ञा भी प्रदान की जाती है।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 25/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	05	–	योग	01	–

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर
सलूम्बर